

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा जिला बारां (राज.)

क्रमांक 3/25

दिनांक 17.09.2025

-- : निर्णय : --

प्रार्थी श्री श्री विन्दू मोहन शुक्ला अमरा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम हुनुवतरवेडा पटवारी कार्यालय छबड़ा तहसील छबड़ा जिला बारां की चालू जमाबंदी सम्वत् 2072-77 के खाता संख्या 72 में खातेदार/गैरखातेदार का नाम/जाति अमरा अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है। जिसे सम्मानजनक रूप से वेरवार अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन पत्र की जांच पटवारी अमरा से करवाने पर पटवारी ने अमरा के बजाय वेरवार करना उचित बताया। तहसीलदार छबड़ा ने भी उक्त खाते में अमरा के बजाय वेरवार करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 369 राजस्थान भूराजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत ग्राम हुनुवतरवेडा के खाता संख्या 72 में खातेदार/गैरखातेदार का नाम/जाति अमरा के स्थान पर सम्मानजनक रूप से वेरवार दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार छबड़ा तदनुसार नक्का रिकार्ड में दुरुस्ती करे।

अमरा  
उपखण्ड अधिकारी  
(Land Record Officer)  
छबड़ा जिला बारां  
उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारां)